

किशोरियों की शिक्षा आवश्कता एवं व्यवधान

डॉ. अभिलाषा बाजपेई

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद

ABSTRACT

शिक्षा जीवन की उन अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह तो सीखने की कोई आयु नहीं होती है परंतु औपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था वह काल है जिसमें शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व और भविष्य दोनों का ही निर्माण करती है। किशोरावस्था में बच्चों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विकासशील देशों में जहां लैंगिक असमानता पाई जाती है वहां बालिकाओं के किशोरावस्था में प्रवेश करते ही उनकी शिक्षा में अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। इन व्यवधानों के लिए अनेक कारक उत्तरदाई हैं। आवश्यकता है,बालिकाओं की शिक्षा को सुचारू रूप से गति देने की। इस दिशा में प्रयास करते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

KEYWORDS: किशोरावस्था, लैंगिक भूमिकाएं, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, लैंगिक विभेदीकरण,शैक्षिक गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वैधानिक प्रावधान, लैंगिक समावेशी कोष

किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के मध्य एक पुल के रूप में कार्य करता है। यह बालक की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, भावात्मक और मानसिक परिवर्तन बड़ी तीव्रता के साथ जन्म लेते हैं। किशोरावस्था विकास का वह एक महत्वपूर्ण समय है जिसमें बालक और बालिका दोनों को ही अनेक प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किंतु बालिकाओं के समक्ष ऊपर उत्पन्न होने वाली चुनौतियां बालक के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से अधिक कठिन होती है। बाल्यावस्था में बालक तथा बालिका दोनों का है विकास एक समान भाव से होता है किंतु किशोरावस्था में लड़कियों का विकास अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से होता है क्योंकि यह परिवर्तन केवल शारीरिक या मानसिक ना होकर सामाजिक भी होता है। विकासशील देशों का यह दुर्भाग्य है कि किशोरावस्था का प्रारंभ होते ही लड़कियों को वयस्क मान लिया जाता है और उनको अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है। किशोरावस्था तक पहुंचते ही एक तिहाई बालिकाओं को विवाह के बंधन में बांधकर उन पर पारिवारिक उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। जबकि 18 वर्ष की आयु से पहले ही एक तिहाई महिलाएं बच्चों को जन्म दे देती है। यदि उनका विवाह नहीं भी होता है तो भी किशोर होते ही बालिकाओं पर घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी आ जाती है। उन्हें अपने माता–पिता, भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के छोटे–मोटे कार्यों का ध्यान रखना पड़ता है और जिन ग्रामीण परिवारों में पशुपालन होता है वहां वह पशुओं का भी ध्यान रखती है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आते ही तुरंत होने वाले यह परिवर्तन और बढ़ती हुई जिम्मेदारियां बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर बुरा असर डालती है। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण समय है जो लड़कियों की भविष्य की संभावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है यह प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से बालिका से महिला बनने तक का संक्रमण काल है। मुख्य रूप से जब यह संक्रमण गलत दिशा में चला जाता है तो इससे माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाई छोड़ने जबरन विवाह घरेलू हिंसा का शिकार और मातृत्व मृत्यु दर में वृद्धि का परिणाम दिखने लगता है।

किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब लड़कियों के लिए निर्धारित लैंगिक भूमिका मूल रूप से बढ़ जाती है और बालक और बालिकाओं के मध्य होने वाला लैंगिक विभेदीकरण और ज्यादा दिखने लगता है। अनेक राष्ट्रों में जैसे ही बालिका किशोरावस्था में प्रवेश करती है, उसके लिए घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है अर्थात उसकी गतिशीलता बाधित हो जाती है। यदि उन्हें बाहर निकलने भी दिया जाता है तो अनेक प्रतिबंधों के साथ। अनेक समाजों में लैंगिक विभेदीकरण तब और भी ज्यादा अमानवीय रूप धारण कर लेता है जब परिवार निर्धन होते हैं। निर्धन परिवारों में सीमित आय के साधनों में शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता केवल बालकों तक सीमित हो जाती है और बालिकाओं को इसे वंचित होना होता है। शिक्षा क्षेत्र में विभेदीकरण और सीमित अफसर के कारण यह बालिकाएं अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाने में असमर्थ होती हैं जिससे कि बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। विकासशील देशों में बमुश्किल बालिकाएं अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाती है। जहां उन्हें अक्षर का ज्ञान होता है वही इसे पर्याप्त मानकर उनकी माध्यमिक शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। उच्च शिक्षा व्यवस्था में बालिकाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। रोजगारपरक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तो बालिकाओं को आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली होती है इसलिए बालिकाओं को परिपाटी से हटकर शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है और इसे सशक्तिकरण के लिए एक आवश्यक उपकरण माना जाता है। शिक्षा व्यक्तिगत या व्यावसायिक

रूप से ज्ञान की निरंतर स्वैच्छिक और स्व–प्रेरित खोज है। यह न केवल सामाजिक समावेशन, सक्रिय नागरिकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाता है, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगारपरकता के बजाय आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाता है शिक्षा को मोटे तौर पर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो लचीली हो, विभिन्न समयों और स्थानों में उपलब्ध हो, सीखने को बढ़ावा देती हो। स्पष्ट है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश से इस भयावह तस्वीर को रोका जा सकता है और लड़कियों, उनके भविष्य के बच्चों और उनके समुदाय के लिए व्यापक और दीर्घकालिक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। लड़कियों और शिक्षा के बारे में चर्चा में इस तर्क को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि किशोरों के साथ लड़कियों को समान सामाजिक दशाओं में शामिल किए जाने का अधिकार है। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यक्तिगत एवं आर्थिक स्वतंत्रता के उनके अधिकार शामिल हैं। सशक्त तर्क शिक्षा को सशक्तीकरण के एक शक्तिशाली तरीके के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा में लड़कियों के भविष्य को बेहतर बनाने की क्षमता है। शिक्षा में लड़कियों के भविष्य को बेहतर बनाने, वेतनभोगी काम की संभावनाएं, आत्मविश्वास की भावना, स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता तथा बच्चों पर नियंत्रण की क्षमता है। मुख्यधारा के विकास ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर एक सकारात्मक

दृष्टिकोण अपनाया है, हालांकि यह बताया गया है कि लड़कियों की स्कूली शिक्षा में निवेश करने से बाल पोषण जैसे मुद्दों के लिए अभी भी बहुत सारे लाभ हैं। शोध बताता है कि किशोरों और लड़कियों में निवेश करना एक उपयोगी आर्थिक निर्णय है क्योंकि लड़कियों के अधिक रोजगार से देश के विकास पर प्रभावशाली प्रभाव पड़ सकता है। लड़की की शिक्षा में निवेश करने से बच्चे के जन्म के समय स्वास्थ्य संबंधी लागत कम होती है और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित माताओं के पास निवेश करने के लिए संपत्ति और क्षमता होती है। लड़कियों को शिक्षित करने से बालविवाह टलते हैं,स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम होता है, जीवित रहने की दर में सुधार होता है, परिवार की आय बढ़ती है, भविष्य में बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ती हैं, महिलाओं की आय में वृद्धि होती है , घरेलू हिंसा में कमी आती है।

लेकिन यह भी सच है कि लड़कियों को शिक्षा तक पहुँचने और उससे लाभ उठाने में कई तरह की बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि जैसे–जैसे किशोर लड़कियाँ बड़ी होती हैं, उनकी शिक्षा की दर घटती जाती है। उदाहरण स्वरूप 37 सहारा देश में से मात्र आठ देशों में ही 15 प्रतिशत किशोरिया अपनी माध्यमिक शिक्षा को पूरा कर पाती हैं जबकि 19 देश में यह प्रतिशत 5 है। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण वैश्विक तत्व है कि प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की उपस्थिति उनकी क्षमताओं और कौशल विकास को दर्शाने में असमर्थ होती है। अनेक बार प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं को सिर्फ भोजन लेने या साक्षर बनाने के लिए ही भेजा जाता है। ऐसी किशोरिया जो प्राय निर्धन परिवारों से आती है उनके साथ स्कूल में भी समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। विद्यालयों में प्राय सभी बच्चों को एक समान मानकर शिक्षा दी जाती है। ऐसे में जो शीघ्र सीखने में अथवा आवश्यक कार्य को पूर्ण कर पाने में असमर्थ होते हैं उन्हें लापरवाह मानकर उन पर ध्यान कम दिया जाने लगता है। विद्यालयों में जिस पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है वह भी बंधी बधाई लैंगिक भूमिकाओं का ही महिमा मंडल करते हैं। लड़की सुंदर थी !लड़का बहादुर था! इस प्रकार के वाक्य द्वारा लैंगिक विभेदीकरण को अधिक उकेरा जाता है। दक्षिण एशिया में किशोरियों की शिक्षा की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों में ही रुपों में लैंगिक असमानता देखी जा सकती है। शिक्षक लड़कियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ–साथ सीखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संवेदनशील शिक्षकों में प्रतिबद्धता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। लड़कियों को स्कूल में और स्कूल आने जाने के मार्ग में स्कूली छात्रों, शिक्षकों के हाथों यौन उत्पीड़न, बलात्कार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। औपचारिक स्कूल प्रणाली में एक समस्या यह भी है कि इसमें पाठ्यक्रम को पूरा करने का एक निश्चित समय होता है ऐसे में जो बालिकाएं देर में पढ़ाई शुरू करती है या किसी कारणवश कुछ समय के अंतराल में पढ़ाई करती हैं उनके लिए कक्षा के अन्य बच्चों के साथ सामंजस्य से बिठाना कठिन हो जाता है कई बार वे अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के साथ जब पढ़ती है तो संकोच वश भी वह पढ़ाई शीघ्रता से छोड़ देती है। भारत जैसे विकासशील देशों मैं महंगी होती शिक्षा भी किशोरियों की शिक्षा में एक बड़ा व्यवधान प्रस्तुत करती है। निर्धन परिवारों में शिक्षा के ऊपर एक सीमित धन ही व्यय किया जाता है। ऐसे में यदि बालक और बालिका दोनों की ही शिक्षा की तुलना की जाए तो बालकों की शिक्षा को महत्व दिया जाता है और बालिकाओं की शिक्षा में किसी प्रकार का निवेश उचित नहीं माना जाता है। इसका कारण यह मान्यता भी है कि बालिकाओं की शिक्षा का कोई आर्थिक लाभ परिवार को भविष्य में नहीं मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा मूल रूप से राज्य द्वारा बहुत कम फीस पर उपलब्ध कराई जाती है। जबकि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की स्थिति इससे अलग है। ऐसे में विकासशील देशों में किशोरियों को प्राथमिक शिक्षा के उपरांत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उच्च शिक्षा में तो उनकी स्थिति और भी दयनीय है।

किशोरियों की शिक्षा में आने वाली एक बड़ी समस्या उनके ऊपर लादी जाने वाली घरेलू जिम्मेदारियां भी है। समाज में स्थापित प्रतिमानों के अनुसार घरेलू कार्य पूर्ण रूपेण महिलाओं का उत्तरदायित्व माना जाता है। जैसे ही बालिका किशोरावस्था में प्रवेश करती है घर के सभी सदस्य उसे भविष्य में इन जिम्मेदारियां के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में घर के छोटे से लेकर बड़ा काम उनके सुपुर्द कर दिया जाता है जिसमें कई बार पशुपालन और कृषि से संबंधित कार्य भी सम्मिलित होता है ऐसी परिस्थितियों में जब किशोरिया निरंतर घर के कार्य में संलग्न रहती है।वे अपनी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती है। कक्षा में पढ़ाई में पिछड़ने लगती है और इस कारण भी उनका मन पढ़ाई से हट जाता है जो कि उनकी शिक्षा के मार्ग में एक बड़ी समस्या प्रस्तुत करता है। अनेक परिस्थितियों में घर के बुजुर्ग या किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल का उत्तरदायित्व भी इन्हीं किशोरियों पर होता है ऐसे में यह किशोरियों विद्यालय जाने की अपेक्षा घर में ही अपना समय व्यतीत करने लगती है।

किशोरियों की शिक्षा में उत्पन्न होने वाले इन व्यवधानों को धीरे–धीरे

समाप्त किया जाना चाहिए। इसका प्रारंभ सामाजिक और सरकारी दोनों रूपों से होना चाहिए। सरकार द्वारा किशोरियों को स्कूल भेजने के उपलक्ष में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन अभी तक इनका पर्याप्त प्रभाव देखा नहीं जा सका है। एक प्रमुख कारण यह भी है कि निर्धन और निरक्षर परिवारों में इन योजनाओं के विषय में कोई जागरूकता नहीं होती है। जब वे जागरूक होते भी हैं तो भी वास्तव में जो इसके पात्र हैं उन तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है इसके पीछे संबंधित अधिकारियों की लालफीताशाही भी उत्तरदायी है।

सरकार द्वारा सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यालयों में फीस की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। विद्यालयों में किशोरियों द्वारा जब पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी जाती है तो इसके प्रति स्कूल प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए। ऐसी किशोरियों के परिवारों में संपर्क करके पढ़ाई छोड़ने के कारण को ज्ञात किया जाना चाहिए। यदि यह कारण सुलझाने योग्य हो तो अपने स्तर से इस पलायन को रोकना स्कूल प्रशासन का उत्तरदायित्व है।किशोरियों को विद्यालयपरिसरऔर विद्यालय के बाहर सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार और स्कूल प्रशासन का उत्तरदायित्व है। अनेक बार छेड़खानी होने या छेड़खानी के भय से भी किशोरियों अपनी शिक्षा को बीच में ही रोक देती है।

पारिवारिक स्तर पर किशोरियों की शिक्षा को महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। समाज के सदस्यों में यह जागरूकता आनी चाहिए कि परिपाटी के रूप में चली आ रही लैंगिक भूमिकाएं समय के साथ परिवर्तित होनी चाहिए। घरेलू कार्य करना, माता–पिता , भाई बहनों की जिम्मेदारी, पशुपालन और कृषि कार्य जैसे कार्यों की जिम्मेदारी किशोर और किशोरी दोनों की ही होनी चाहिए। इसका एक मात्र भर केवल किशोरियों पर ही नहीं होना चाहिए। जब किशोरियों को घरेलू कार्यों से कुछ मुक्त किया जाएगा जब शिक्षा में बढ़ता पलायन रोक जा सकेगा। घरेलू कार्यों के भार में कमी से इनको पठन पाठन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। कक्षा में अच्छे प्रदर्शन से इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उन समस्याओं और बाधाओं को चिन्हित कर लिया है जो लड़कियों की शिक्षा के मार्ग में आती है। यह सकारात्मक संकेत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों में किशोरियों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुभव किया गया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो भी समूह है उनमें सभी में आधी संख्या किशोरियों और महिलाओं की है इसलिए इस वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई गई हैं। जो इनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। शिक्षा व्यवस्था में किशोरियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लैंगिक समावेशी कोष की भी व्यवस्था की गई है। यह लैंगिक समावेशीकोष राज्यों को उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे उनको ऐसी नीतियां,योजनाएं और कार्यक्रम आदि बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी। जिससे महिलाओं को विद्यालय को परिसर में अधिक सुरक्षा पूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके, जैसे परिसर में बालिकाओं के लिए शौचालय स्थापित करना, उन्हें स्वच्छता और सेनिटेशन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना, स्कूल आने जाने के लिए साइकिल देना, फीस इत्यादि ना भर पाने की स्थिति में उनके अभिभावकों को नगद स्थानांतरित करना ताकि उन्हें बीच में शिक्षा न छोड़ने पड़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूह में छात्रों के लिए मुफ्त छात्रावास का निर्माण किया जाएगा जिसमें किशोरियों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो की बालिका शिक्षा के लिए भारत सरकार की पहले से ही योजना है उनका और अधिक विस्तार किया जाएगा निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में दुर्दशा के इलाकों में जहां विद्यालयों की भारी कमी है विशेष रूप से बालिकाओं के लिए छात्रावासों की कमी है वहां इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक एबीसी की भी स्थापना का प्रावधान है जो अलग–अलग मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त क्रेडिट को एकत्रित करेगी और विद्यार्थी उसे क्रेडिट का उपयोग करके किसी भी शिक्षण संस्थान से शिक्षा और डिग्री प्राप्त कर सकता है इसका सर्वाधिक लाभ उन किशोरियों को होगा जो किसी कारण वश अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देती है जब वह पुनः उसे प्रारंभ करना चाहेंगी तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। उच्चतर शिक्षा में आगमन और निकास के अनेक विकल्प वाला प्रावधान भी महिलाओं की शिक्षा के लिए उपयोगी है जिससे उन्हें विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के अनेक विकल्प उपस्थित हो जाते हैं जिससे व्यक्तिगत और पारिवारिक कारण जो महिलाओं की भागीदारी को शोध क्षेत्र में काम कर देते थे उनको भी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट द्वारा महिलाओं को रोजगार परक शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध होते हैं।

आशा है कि देश के आधे भाग को देश के विकास में पूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो प्रयास किया जा रहे हैं उनका वांछित प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिलेगा।

संदर्भ सूची

1. Singh Sangeeta “Adolescent girls: their problems and education” Lambert academy publication, 2014
2. Chandler E. M. “Educating Adolescent Girls” Tylor & Francis Ltd,2012
3. Mohanty Nibedita, Nayak , Smita “Girl’s Education in India The changing perspective” N.B.Publication .
4. Calder, R. Huda, K. “Adolescent Girl’s Economic Opportunity Study”. Nike Foundation 2013